

FROM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

सहायक कलक्टर (SDO)  
बायत

मुकाम

जालाराम

बनाम पैमाराम कौरा

किस्म मुकदमा 20 आवेदन

नं. 28/16

सन् 2016

तारीख हुकम	हुकम कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05 <sup>02</sup> / <sub>16</sub>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री. <u>दा. प्र. दा. राम. सा. 201</u> ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 11, 128 RCR Act राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 02/03/16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">L सहायक कलक्टर (SDO) बायत</p>	57 15/02/16
02/03/16	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी/अपीलांट नोटिस तामील शुद्धा प्राप्त जिले तामील पत्रावली विना गमा। अप्रार्थी/अपीलांट कावडु तामिल अनुपस्थित। कल: वाल्मे कडम पत्रावली दिनांक 21/06/16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">L</p>	
21/06/16	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी/अपीलांट अनुपस्थित। सीमान पीठारी अधिकारी लोड अदालत डेम्पो के लक्ष्य होने के मिशाल इलतवा दोहर आगामी दिनांक 14/09/16 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">L सहायक कलक्टर (SDO) बायत</p>	

14/09/16

प्राथी वहील उपस्थित। अप्राथीगिन अनुपस्थित।  
अनुपस्थित। प्राथी वहील कर्म माईना  
हरना चाहते हैं। अक्षर दिना जाडा  
पजावली माईना दिना 28/09/16 को  
पेश है।

28/09/16

प्राथी वहील उपस्थित। अप्राथीगिन अनुपस्थित।  
प्राथी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बयान लुनी गई,  
प्राथी के अधिवक्ता ने बताया की प्राथी के अपने  
घ्यातेदारी घेतों की सीमाओं का ज्ञान किना जान  
आकरयतु है। अतः प्राथी का प्राथीना-पत्र लुनीत  
किना जाडा तदवकाश वाकतु को इतिहास  
निमुक्त किना जात है कि आप स्वयं था।  
दोनों अधिवक्ता किमी भी प्र. अतिरिक्त मिरिड  
ले प्राथी के घ्यातेदारी घेतों की पञ्ची नैपामवनी  
मोडे पर खुलु जमाडाडा डेट, पालना रिपोर्ट  
प्राप्त होने पर शामिल पजावली है, पजावली  
अमल खुमार है, डर्ज नम्बर ले डम है दाखिल  
इमल है।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायत

04/08/17

पजावली आज तलब की गई प्राथी वहील उपस्थित।  
तदमीलडात वाकतु ले पालना रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल  
पजावली किना गया। प्राथी वहील द्वारा तदमीलडात वाकतु  
ले प्राप्त नैपामवनी पालना रिपोर्ट में इशाये गये बिन्दुओं  
को पुरल किने जाने का निवेदन किना गया।  
अतः प्राथी के अधिवक्ता के निवेदन पर  
तदमीलडात वाकतु ले प्राप्त प्राथी के घ्यातेदारी घेतों की  
नैपामवनी पालना रिपोर्ट में इशाये गये बिन्दु संख्या 01, 02,  
03, 04, 05, 06, 07, 08 व बिन्दु संख्या-47, 48, 49, 50 का पुरल  
किना जात है। पजावली पुनः दाखिल इमल है।

सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायत

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2016/343

दिनांक:- 28/9/16

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. जालाराम पुत्र भीमाराम जाति राईका  
निवासी बोड़वा तहसील बायतु जिला  
बाड़मेर

1. पेमाराम पुत्र मूलाराम वगैरा  
21 निवासी बोड़वा तहसील बायतु  
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 28/16

### आदेश

खसरा नं. 710/375 रकबा 10.05 बीघा, खसरा नम्बर 376 रकबा 00.04 बीघा, खसरा नम्बर 372 रकबा 29.00 बीघा मौजा बोड़वा पटवार मण्डल बोड़वा भू अभिलेख वृत्त नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु जिला बाड़मेर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु

प्रतिलिपि:- निम्न की सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बोड़वा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जालाराम पुत्र भीमाराम।
4. विप्रार्थी पेमाराम पुत्र मूलाराम वगैरा 21।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कलेक्टर (SDO)  
बायतु